भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1956
जिसका उत्तर मंगलवार, 18 फरवरी, 2025 को दिया जाएगा

भारत दाल उतपादन स्वावलंबन अभियान

1956. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारत दाल उत्पादन स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है;
(ख) इससे दाल उत्पादन को बढ़ावा देने, सुरक्षित भंडार संबंधी मानदंडों को पूरा करने और हमारे देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में किस हद तक मदद मिलेगी, सिक्किम सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि सिक्किम राज्य को भारत दाल योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): उपभोक्ता मामले विभाग ने जुलाई, 2023 में "भारत दाल" ब्रांड नाम से सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की है, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराई जा सकें। भारत दाल में मूंग दाल, मूंग साबुत और मसूर दाल को शामिल किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर खुदरा बिक्री की जा सके। सिक्किम राज्य सहित पूरे देश में भारत दाल स्कीम लागू की गई है। दालों की आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों को अधिक दालें उपजाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने उत्पादक राज्यों के पूर्व-पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर तूर, उड़द और मसूर के एफएक्यू (उचित और औसत गुणवत्ता) स्टॉक की 100% खरीद करने का फैसला किया है।

******